

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2010/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक .05.2023

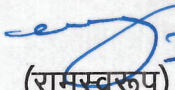
आदेश

निर्देशानुसार राज्य के भीलवाड़ा जिला हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :-

जिला-भीलवाड़ा						
क्र. सं.	पद का नाम	पद हेतु पात्रता	पदेन/ मनोनीत	मनोनीत करने के लिए प्रस्तावित नाम व पिता का नाम	पता	मोबाइल
1	अध्यक्ष	जिला कलक्टर	पदेन	----		
2	सदस्य सचिव	जिला रसद अधिकारी	पदेन	----		
3	सदस्य	जिले के समस्त सांसद	पदेन	----		
		जिले के समस्त विधायक	पदेन	----		
		जिला प्रमुख	पदेन	----		
		जिले के समस्त प्रधान	पदेन	----		
		जिले की समस्त नगर निकायों के अध्यक्ष	पदेन	----		
		जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	पदेन	----		
		उपभोक्ता संगठनों का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	मनोनीत	श्री शिवकुमार कौशिक	भीलवाड़ा	9414111545
		चार सामाजिक कार्यकर्ता /उपभोक्ता (इनमें एससी, एसटी, महिला एवं दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा)	एससी	श्री केदार बैरवा	परसारामपुरा (आंगुचा) जिला भीलवाड़ा	9929588957
			एसटी	श्री राजकुमार भील पुत्र श्री मिट्ठू लाल भील	नाथडियास, ब्लॉक रायपुर, भीलवाड़ा	9982288319
			महिला	श्रीमती ललिता समदानी पत्नी श्री ओमप्रकाश	सुशोत सिटी, भीलवाड़ा	9413055988
			दिव्यांग	श्री आरीफ मोहम्मद पुत्र श्री शेर मोहम्मद	लाम्बिया स्टेशन, तह. बनेड़ा, भीलवाड़ा	9829854257

यह आदेश जारी होने के तिथि से प्रभावी होगा। उपरोक्त सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

 31.5.23
(रामस्वरूप)

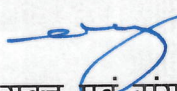
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2010/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक .05.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव (एच.डी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, जयपुर।
7. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. संबंधित जिला रसद अधिकारी को लेख है कि निर्देशानुसार समस्त संबंधित को सूचित करने एवं परिचय पत्र बनवाने इत्यादि अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
9. ए.सी.पी., खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
10. रक्षा पत्रिका।

 31.5.23
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव